102/2012 मुमताज अहमद / नशीद खां

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13/02/2024	पत्रावली माननीय मण्डल में प्राप्त हुई। अपीलांट श्री अधिवक्ता सुश्री पुष्पा कुमारी एड. के साथ उपस्थित आए। वकील अपीलांट ने उप० होकर जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते है। अतः अपील नोटपैज में खारिज की जाये। इसने वकील अपीलांट ने आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोटपैज में खारिज करने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपीलांट नोटपैज में खारिज की जाती है निर्णय सैर इजलास सुनाया गया। प्रकरण के अलग कागज होकर नम्बर से कम होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर हो।	नोटपैज पुष्पा कुमारी भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)